उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

संख्या-47/2016/1994/92-1-2016-77(अधि0)/2016टीसी

लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री राजीव कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियंता, सम्बद्ध कार्यालय अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-गोरखपुर/प्रभारी अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-गोरखपुर को जनहित/शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुये कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध किया जाता है। श्री गुप्ता को नितांत काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था (Stop gap arrangement) के अन्तर्गत शासन के अग्रिम आदेशों अथवा सम्बन्धित पद पर नियमित तैनाती होने, जो भी पहले हो तक के लिये, अधीक्षण अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सेल (मुख्यालय) के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन अतिरिक्त रूप से किये जाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2- कार्यालय-ज्ञाप संख्या-29/2016/1708/92-1-2016-92(अधि0)/2016, दिनांक 09-6-2016 द्वारा प्रदत्त आदेशानुसार श्री राजीव कुमार गुप्ता द्वारा मुख्य अभियंता (पूर्वी) का अतिरिक्त कार्यभार पूर्ववत सम्पादित किया जाता रहेगा।

3- श्री राजीव कुमार गुप्ता को उपर्युक्त अतिरिक्त कार्य एवं दायित्वों को निर्वहन करने के लिये किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

4- उपर्युक्त अतिरिक्त कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन करने की उक्त व्यवस्था नितांत काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्ध के अन्तर्गत है, जो शासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

5- श्री राजीव कुमार गुप्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी वर्तमान तैनाती/सम्बद्धता के स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती/सम्बद्धता के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें तथा कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-47/2016/1994(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।

6- संबंधित अधीक्षण अभियंतागण द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।